भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5477

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की स्थिति

†5477. श्री सुधाकर सिंह:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एनयूएलएम की वर्तमान स्थिति क्या है और इसकी शुरुआत से लेकर अब तक विभिन्न योजनाओं से कितने शहरी गरीब लाभान्वित हुए हैं;

(ख) कौशल विकास, स्व-रोजगार और शहरी गरीबी उपशमन के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्यवार कितनी निधि आबंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) विशेषकर बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों में एनयूएलएम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने एनयूएलएम के कार्यान्वयन में किसी कमी अथवा चुनौतियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी दक्षता और गरीबों के लिए पहुंच में सुधार लाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(ङ) एनयूएलएम के अंतर्गत रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रोत्साहन देने और सूक्ष्म उद्यमों को बेहतर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, एमओएचयूए ने 2014 में दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) को लागू किया और यह 30 सितंबर, 2024 को समाप्त हो गया। डीएवाई - एनयूएलएम की स्थापना से लेकर 30 सितंबर, 2024 तक की प्रगति अनुलग्नक- । में दी गई है।

(ख): डीएवाई-एनयूएलएम के तहत, केंद्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से जारी की जाती है। मिशन के विभिन्न घटकों के तहत निधियों का परस्पर आवंटन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण अनुलग्नक-॥ में दिया गया है।

(ग) और (घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के माध्यम से डीएवाई-एनयूएलएम योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया है, जिसमें विभिन्न घटक जैसे स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी), सामाजिक एकजुटता और संस्थागत विकास (एसएमआईडी) आदि शामिल हैं । केंद्र सरकार ने समय-समय पर निम्नलिखित उपायों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की जानकारी दी है:

- विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन विपणन रणनीतियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों को बेचने में सहायता प्रदान करना।
- बैंकों के साथ एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) ऋण लिंकेज मेलों का आयोजन करना।
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (डीएलबीसी) और ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) के साथ बैठकें आयोजित करना।
- विभिन्न आईईसी गतिविधियों जैसे होर्डिंग्स, बैनर, पैम्फलेट और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।
- राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ मिशन की प्रगति की समीक्षा करना।

डीएवाई-एनयूएलएम से प्राप्त जानकारी के आधार पर, यह प्रोयोगिक परियोजना 1 अक्टूबर 2024 से शुरू की गई, जिसे शुरुआत में 25 चिन्हित शहरों में शुरू किया गया और बाद में पूरे देश में इसका विस्तार कर दिया गया। इस प्रायोगिक परियोजना को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है।

(ड.): मिशन के तहत, 10,000/- रुपये की एकमुश्त रिवॉल्विंग फंड सहायता उन स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गई, जो 3 महीने की अवधि के लिए कार्यात्मक थे और जिनके कम से कम 70% सदस्य शहरी गरीब थे। इस मिशन ने स्वयं सहायता समूहों को स्वीकृत बैंक लिंकेज ऋणों पर 7% की ब्याज दर के अलावा ब्याज दर में छूट प्रदान की। ऋणों का समय पर भुगतान करने पर महिला स्वयं सहायता समूहों को 3% की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की गई।

****

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक आतरंकित प्रश्न संख्या 5477 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

सम्पूर्ण भारत: डे-एनयूएलएम के अंतर्गत 01.04.2014 से 30.09.2024 तक भौतिक प्रगति

गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या	**10,02,545**
रिवाल्विंग फंड दिए गए स्वयं सहायता समूहों की संख्या	**6,79,705**
कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	**15,42,952**
नियोजित कुशल उम्मीदवारों की संख्या	**8,43,299**
व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	**9,81,899**
बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों को संवितरित ऋणों की संख्या	**6,42,207**
प्रमाण पत्र जारी किए गए पथ विक्रेताओं की संख्या	**32,59,522**
कार्यात्मक एसयूएच की संख्या	**1,995**

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक आतरंकित प्रश्न संख्या 5477 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

डे-एनयूएलएम के अंतर्गत 01.04.2014 से 30.09.2024 तक जारी एवं उपयोग की गई राज्य-वार केन्द्रीय निधि

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी	उपयोग किया गया
1	आंध्र प्रदेश	432.96	410.01
2	अरुणाचल प्रदेश	38.13	37.90
3	असम	119.47	113.10
4	बिहार	162.61	160.81
5	छत्तीसगढ	148.57	139.48
6	गोवा	18.48	17.96
7	गुजरात	309.51	308.91
8	हरियाणा	83.29	78.84
9	हिमाचल प्रदेश	56.06	55.58
10	जम्मू और कश्मीर	50.05	43.01
11	झारखंड	159.16	156.46
12	कर्नाटक	171.23	170.30
13	केरल	180.39	176.52
14	मध्य प्रदेश	425.98	424.67
15	महाराष्ट्र	441.48	440.74
16	मणिपुर	58.54	54.03
17	मेघालय	12.08	11.96
18	मिजोरम	110.28	109.70
19	नागालैंड	53.22	50.41
20	ओडिशा	127.41	124.93
21	पंजाब	114.09	112.55
22	राजस्थान	242.49	237.01
23	सिक्किम	11.31	10.09
24	तमिलनाडु	715.77	700.52
25	तेलंगाना	329.55	304.54

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी	उपयोग किया गया
26	त्रिपुरा	73.11	70.17
27	उत्तर प्रदेश	481.24	480.49
28	उत्तराखंड	52.68	50.78
29	पश्चिम बंगाल	284.84	281.27
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.68	1.08
31	चंडीगढ़	20.91	20.35
32	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	0.17	0.00
33	लद्दाख	2.10	0.76
34	दिल्ली	0.00	16.22
35	पुदुचेरी	20.01	19.27
	कुल	**5508.87**	**5390.42**